समिति के कानून/नियम लिए निम्नलिखित है:-

1. कोई भी स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, सरकारी नौकरी भी शामिल हैं, समिति का सदस्य बन सकता है.

2. किसी भी प्रकार से नैतिक दोषी ना हो तथा किसी भी न्यायालय में किसी नैतिक अपराध से दण्डित ना किया गया हो.

3. सदस्य किसी भी अन्य समिति द्वारा बहिष्कृत ना किया गया हो. अगर फिर भी इस समिति का सदस्य बनना चाहता है तो उसे उस समिति से त्याग पत्र देना होगा.

4. उदेश्यो में अपनी पूरी आस्था रखता हो तथा नियम एव उपनियमो का पालन करने में बचनबध्द हो.

5. सदस्य बनते समय प्रवेश शुल्क 100/- रुपये तथा मासिक चंदा 50/- रुपये व वार्षिक चंदा 600/- जमा कराने होगे. कार्यकारिणी सदस्य की वार्षिक चंदा 1200/- + 500/- = 1700/- देने होगे. सदस्य अपना चंदा मासिक, तिमाही व वार्षिक अपनी सुविधा के अनुसार जमा करा सकता है.

6. जो भी व्यक्ति अथवा समिति, समिति को जितना भी धन अथवा द्रव्य दान के रुप में देना चाहते है, दे सकते है किन्तु समिति में दिया गया धन अथवा द्रव्य दान वापस नहीं होगा.

7. अगर कोई सदस्य तीन साल तक अपना सदस्यता शुल्क नही देता है तो समिति उसकी सदस्यता रद्द कर सकती हैं. इसके लिए आवेदक समिति की कार्यकारिणी के सामने अपनी बात रख सकता है, कार्यकारिणी चाहे तो उसकी सदस्यता बरकरार रख सकती है.

समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. समिति द्वारा धानका समाज में शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर विशेष ध्यान देंना, शैक्षणिक संस्था स्थापित करना एव संचालन करना.

2. समिति द्वारा धानका समाज की महिलाओं की उन्नति हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देंना ओर समाज के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करना.

3. समिति समाज की जरुरतमंद महिलाओं के घरेलू जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा व सिलाई कटाई, टाइपिंग, टुयशन का प्रबंध करना तथा पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए शिवरो का आयोजन करना.

4. धानका जनजाति समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की हर प्रकार से मदद करना तथा गरीब व अनाथ कन्याओं की शादी करवाने का प्रबंध तथा हर प्रकार से सहायता करना.

5. समिति, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ, आम जनता तक पहुचाना तथा सरकारी भागीदारी योजनाओं के अन्तर्गत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना.

6. समिति द्वारा समाज में व्यापक कुरितियों जेसे :- दहेज प्रथा, बाल विवाह, रुढिवादिता, बालश्रम, नशा, आपसी रंजिश, इत्यादि अथवा अन्य गैर कानूनी कार्य को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना.

7. समिति द्वारा धानका समाज को एक करना. एरिया, क्षेत्रवाद, बोली को खत्म करके भाईचारा क़ायम रखना.

8. समिति, धानका समाज के आरक्षण को बचाने के लिये हमेशा तात्पर्य रहेगी.